(खारिज योग्य) PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/88

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 R.T.A. वादपत्र	48/2024	15/2/2024		18/3/2024 22/8/24 19/9/24 26/9/24 17/10/24 14/11/24 11/12/24 7/1/25 23/1/25 6/2/25 पट 6/3/25 20/3/25

खारिज

26/3/25

3/4/25 Potu

आनवान

श्री बाबु S/O भैरु धाकड़ श्री गोपाल S/O माना धाकड़

निवासी भूति तह. बिजौलियाँ निवासी भगवानपुरा तह. बिजौलियाँ

वर्ग -(16)

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री गिरधारी लाल आचार्य श्री Ex-Party

(खारिज [illegible]) PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/88

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 R.J.A. वादपत्र	48/2024 खारिज	15/2/2024		18/3/2024 22/8/24 19/9/24 26/9/24 17/10/24 14/11/24 11/12/24 7/1/25 20/1/25 6/2/25 6/3/25 20/3/25

26/3/25

3/4/25 Potu

आनवान

श्री बालु s/o भैरु कराड़ श्री गोपाल s/o काना कराड़

निवासी भूति तह. बिजौलियाँ निवासी भगवानपुरा तह. बिजौलियाँ

वर्ग-⑯

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री गिरधारी लाल आचार्य श्री Ex-Party

FORM NO. III
फर्द अहकम
नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

बालु बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा 88-188 नम्बर 48 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/2/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 18/3/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
12/3/24	पत्रावली पेश [illegible] [illegible]क वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] [illegible]रे पर है। पत्रावली दिनांक 2/4/24 [illegible] तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
2/4/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible]भाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 30/4/24 [illegible] तलबी पेश हो। रजि डाक से तामील भेजी जावें। उपखण्ड अधिकारी	
30/4/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 27/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/25	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 23/1/25 को वास्ते उ. अ. [illegible] हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/1/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 6/2/25 को पेश हो	
2/25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 06/3/25 को पेश हो	
6-3-25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली ~~को निर्णय~~ आगामी ~~दिनांक~~ 20-3-25 को पेश हो	
0/3/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 26/3/28 को पेश हो	
3/25	पत्रावली पेंश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक [illegible] को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/11/25	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में बहस सुनी गयी। पत्रावली को अस्वीकार (खारिज) किय गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या 48/2024 **दायर तारीख 15.02.2024**

अनवान

1. बालु पुत्र भैरु जाति कराड उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ....वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र काना जाति कराड उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
2. बसन्तीलाल पुत्र काना जाति कराड उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
3. रमेश पुत्र काना जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
4. कैलाशी पत्नी प्यारा जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
5. डाली पत्नि गंगाराम जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
6. अशोक पुत्र बजरंग (दादा गंगाराम) जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
7. सुनील पुत्र बजरंग (दादा गंगाराम) जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
8. जमनी पुत्री भेरू (दादा नारायण) पत्नि रंगलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भूती हाल कोटा
9. राधा पुत्री भेरू (दादा नारायण) पत्नि बंशीलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी सूथडा तहसील बून्दी जिला बून्दी
10. मांगी पुत्री नारायण पत्नि देबी जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
11. दामोदर प्रसाद पुत्र बृजमोहन जाति अग्रवाल उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोक
12. प्रमुलाल पुत्र ऊकार जाति अग्रवाल उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोक
13. प्रमुलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
14. बजेलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
15. रमेशलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
16. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा .... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :03 / 04/2025

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी की ओर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर वादपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–3 दि0प्र0स0 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 7 तक एक ही हिन्दु पूर्वज की संताने हैं। नन्दा जी के पुत्रों में दूदा व देबी जी मूल निवास भूति छोड़कर भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा में वर्षों पूर्व बस गये। नन्दा जी के पुत्र नारायण जी भूति में रहे। जिनके कब्जे में पुश्तेनी जायदाद आवासीय मकान व कृषि खातेदारी रही। दूदा जी के चार पुत्र काना, प्यारा, गंगाराम व भैरू जी हुए जिनमें से काना देबी पुत्र नन्दा जी के कोई सन्तान नही होने से उन्होंने काना पुत्र दूदा को गोद रखा व नारायण जी के कोई पुरूष संतान नहीं होकर पुत्री मांगी प्रतिवादिया संख्या 10 है। इसलिए उन्होने भेरू पुत्र दूदा को अपना वंश चलाने के लिए गोद रखा। नारायण जी की पत्नि की भी मृत्यु हो गयी हैं। नारायण जी के गोद पुत्र भेरू जी की मृत्यु हो गयी। उनकी संताने वादी बालू व दो पुत्रिया जमनी व राधा है। देबी जी का गोद पुत्र स्व0 काना पुत्र दूदा कराड़ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक है प्यारा पुत्र दूदा जी की मृत्यु हो गयी हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नकी पत्नि कैलाशी प्रतिवादीया संख्या 4 है दूदा जी की पत्नि धापू बाई की भी मृत्यु हो गयी है। गाराम पुत्र दूदा की भी मृत्यु हो गयी उनकी पत्नि डाली प्रतिवादी संख्या 5 हैं।गंगाराम जी के पुत्र जरंग की मृत्यु हो जाने से उनके पुत्र प्रतिवादी सं0 6 व 7 है। भेरू गोदपुत्र नारायण जी का पुत्र बालु ादी है व पुत्रिया जमनी व राधा प्रतिवादीया संख्या 8 व 9 हैं। दूदा पुत्र नन्दा जी ने जो भूति छोडकर गवानपुरा उर्फ चेनपुरिया में रह रहे थे उन्होने भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया व धनेश्वर में पुश्तेनी जायदाद रीब 20 बीघा के अतिरिक्त संयुक्त परिवार के कर्ता की हेसियत से निम्नानुसार भूमि का आवंटन राया। मौजा भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया में आराजी खसरा न0 144/996 रकबा 6 बीघा ख0न0 89 रकबा 6 बीघा मौजा धनेश्वर ख0न0 72/996/2 रकबा 6 बीघा। उनकी मृत्यु के बाद आवंटित भूमि खातेदारी प्राप्त होने बाद उनके वारीसान के नाम पर वारिसान हक से दर्ज हुयी जिसमें वादी के पिता भेरू के नाम 1/6 वा प्रत्येक खसरा नम्बर में दर्ज हुआ। हिन्दु संयुक्त परिवार की पुश्तेनी जायदाद मोजा भूति में जो कृषि भूमि है वह काना गोद पुत्र देबी, नारायण दूदा पुत्र नन्दा जी की खातेदारी में सम्वत 2031 से 2034 की जमाबन्दी अनुसार दर्ज अभिलेख रही जो निम्नानुसार हैं आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 49 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 147 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 168 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 531 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 29 बीघा 5 बिस्वा भूमि हैं। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से खसरा संख्या 531 –14–98–50–47–49–51–168 विक्रय हो चुका हैं। खसरा नं0 47–49–51 रकबा 1.0279 हैक्टेयर में 1/24 हिस्सा प्रतिवादिया न0 8 जमनी का शेष रहा हैं।

वादी ने अनुतोष चाहा कि मोजा भूति स्थित आराजी खसरा संख्या 147–148 रकबा 1.8291 हैक्टेयर ख0न0 47–49–51 रकबा 1.0279 हैक्टेयर में प्रतिवादिया संख्या 8 के 1/24 वे हिस्से ख0न0 14, 48 व 50 रकबा 0.5098 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 8 के 1/24 वे हिस्से व खसरा संख्या 168 रकबा 0.9308 हेक्टेयर में दूदा जी के नाम दर्ज 1/3 हिस्से को वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 9 तक को वादग्रस्त जायदाद को किसी प्रकार से रहन विक्रय दान अथवा वसीयत नही करने वादी को वादग्रस्त जायदाद से बेदखल नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेजवाई गयी।

प्रतिवादीगण बावजूद इतिल्ला गैर हाजिर होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने ग्राम भूति की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की जो EX-1 हैं, ग्राम भूति की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की जो EX-2 हैं, ग्राम भूति की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की जो EX-3 हैं, ग्राम भूति की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 पेश की जो EX-4 हैं, ग्राम भूति की जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 पेश की जो EX-5 हैं,

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

शहादत वादी में वादीगण ने पीडब्ल्यू 1 बालू पिता भैरूलाल किराड़ निवासी भूति, पीडब्ल्यू 2 रामचन्द्र पिता मोड़ा सेन निवसी भूति एवं पीडब्ल्यू 3 सुरेन्द्र पिता प्यारचन्द किराड़ निवासी हाल बिजौलियां के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बालू पिता भैरूलाल किराड़ निवासी भूति ने अपने बयान में लिखाया कि मैंने अपने परिवार दावे में दिया है। मैं नारायण जी का पोता हूं मेरे पिता का नाम भैरू है, मेरे अलवा भैरू जी राधा पुत्री हैं। जिस जमीन का दावा पेष किया है, वो ग्राम भूति में है, जिसकी जमाबन्दी की र्श–1 से 4 तक है। जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 प्रदर्श 5 हैं। इस जमीन के अलावा भगवानपुरा की जमीने हैं, जो भी हमारी पुश्तैनी हैं, आपसी परिवार की समझ से चन्दा जी के दा व देबी भूति छोड़कर चले गए, नारायण जी यही रहे। जिनको भूति की सारी जमीन दे गए। और उन्होंने भगवानपुरा, चैनपुरिया की जमीने उन लोगों ने रख ली बाकी जायदाद भी ख ली। उसमें नारायण ने कोई हिस्सा नहीं लिया। वर्तमान में भूति की जमीन पर मेरा ही । मेरे पिता व दादा जमीन की देखभाल करते थे, लगान जमा करवाते थे, किन्तु जो मेरे परिवार वानपुरा में बस गए। उनका नाम भूति की खाते की जमीन में चला आ रहा हैं, जिसको हटाने मैंने ये दावा पेश किया। भूति की जमीन मेरे नाम दर्ज की जावें।

2 रामचन्द्र पिता मोड़ा सेन निवसी भूति एवं पीडब्ल्यू 3 सुरेन्द्र पिता प्यारचन्द किराड़ निवासी जौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि उक्त भूमि पर नारायण, भैरू के कब्जे के बाद बालू के आई है बालू के अलावा मैंने किसी का कब्जा नहीं देखा, बालू ही जमीन का हकदार हैं।

शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादीगण ने कोई बयान नहीं करवाये गये।

वादी द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को ही दोहराया एवं वादपत्र में अंकित ोष ही प्राप्त करना चाहा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस पर मनन या।

वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में एवं नियमानुसार गोदनामा संलग्न नहीं होने से वादी द्वारा हा गया अनुतोष वादी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः न्यायालय उक्त वादपत्र को खारीज ना उचित होगा।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता हैं। डिक्री मुर्तिब की जावें। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 03/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 48 / 2024 **दायर तारीख 15.02.2024**

अनवान

पुत्र भैरू जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला ाड़ा

..................डिक्रीदार

बनाम

ाल पुत्र काना जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील ालेड़ा जिला बून्दी

सन्तीलाल पुत्र काना जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया हसील तालेड़ा जिला बून्दी

ेश पुत्र काना जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील ालेड़ा जिला बून्दी

कैलाशी पत्नी प्यारा जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

डाली पत्नि गंगाराम जाति कराड़ उम्र बालिग व्यवसाय कृषि निवासी भगवानपुरा उर्फ चेनपुरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

अशोक पुत्र बजरंग (दादा गंगाराम) जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

सुनील पुत्र बजरंग (दादा गंगाराम) जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

. जमनी पुत्री भेरू (दादा नारायण) पत्नि रंगलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भूती हाल कोटा

9. राधा पुत्री भेरू (दादा नारायण) पत्नि बंशीलाल जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी सूथडा तहसील बून्दी जिला बून्दी

10.मांगी पुत्री नारायण पत्नि देबी जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी भगवानपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी

11.दामोदर प्रसाद पुत्र बृजमोहन जाति अग्रवाल उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोक

12.प्रभुलाल पुत्र ऊकार जाति अग्रवाल उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोक

13.प्रभुलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

14.बजेलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

15.रमेशलाल पुत्र ऊकार जाति कराड उम्र बालिग निवासी भूति तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

16.राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

.... मदयूनान

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – विद्वान अधिवक्ता वादी

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 03 /04/2025

डिक्री दिनांक 03 /04/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री धारीलाल आचार्य विद्वान अधिवक्ता वादी उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध ादीगण खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री ब हो।

ज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से ोख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 04 वर्ष 2025 को जारी की ी।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा